श्री संघ प्रिय गौतम : ब्राह्मण मुख्य मंत्री चार हो गए हैं। श्री गोविन्द बल्लभ पंत, श्री त्रिपाठी, श्री बहुगुणा और श्री तिवारी।

श्री अनन्तराम जायसवाल : हां, चार ब्राह्मण हो चुके हैं।

तो इसलिए यह पहला मौका आया है जब दलित वर्ग से संबंधित कुमारी मायावती को मौका मिल रहा है कि वह मुख्य मंत्री बने। अगर इसमें किसी तरह का भेद डाला जाता है तो पूरे दलितों में एक संदेश जाएगा, जैसे बासपा के लोग कहते हैं मनुवादी एक दलित महिला को मुख्य मंत्री नहीं बनने देना चाहते। आप जानते हैं कि दलितों के साथ, हमारे हरिजन भाइयों के साथ पिछले कई हजार सालों से जो अन्याय हुए हैं, जो उनको अवमानना मिली है....

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : हम यहां सदन में मुख्य मंत्री कौन हो, यह डिसकस करने नहीं जा रहे हैं। ..(**व्यवधान**) ...प्लीज कनक्लूड। ..(**व्यवधान**)..

श्री संघ प्रिय गौतम : यह बात सही है, यह छूठ नहीं है कि देयर इज कांस्टिट्यूशनल क्राइसेस।

श्री अनन्तराम जायसवाल : मैं कहना चाहता हूं कि..

श्री सोमपाल (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, इस बात को यहां लाना वैसे भी आवश्यक नहीं है। यदि इनको उनके साथ सहानुभूति है तो ये समर्थन दे दें। मुख्य मंत्री ही तो बदला है, वही कंबीनेशन बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल : आपको भी बोलने का मौका मिल जाएगा (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) नहीं नहीं, हम यहां डिबेट नहीं कर रहे हैं इस बारे में।

You have made your point. Please conclude now.

श्री अनन्तराम जायसवाल : मैं कन्क्लूड ही कर रहा हूं। पहले से उनके मनों में जलन है और घृणा की राजनीति आज आप देख रहे हैं, उसका विस्फोट बन कर फूटने की नौबत आ चुकी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मायावती के मुख्य मंत्री बनने में कोई बाधा न डाल बल्कि सरकार फेसिलीटेट करे, उनको मुख्य मंत्री शपथ दिलवाए धन्यवाद। (**व्यवधान**)

श्री संघ प्रिय गौतम : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं भी संबद्ध करता हूं (**व्यवधान**)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): The House is adjourned for lunch for one hour.

The House then adjourned for lunch at forty-six minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at fifty-two minutes past two of the clock, THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA) *in the Chair.*

PAPERS LAID ON THE TABLE— (Contd.)

LADAKH AUTONOMOUS HILL DEVELOPMENT COUNCILS ACT, 1995

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MATANG SINH): Madam, on behalf of Shri Bhuvnesh Chaturvedi, I lay on the Table, under sub-section (3) of section 3 of the Jammu and Kashmir State Legislature (Delegation of Powers) Act, 1992, a copy (in English and Hindi) of the Ladakh Autonomous Hill Development Councils Act, 1995 (No 1 of 1995) enacted by the President on the 9th May, 1995.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): The Passports (Amendment) Bill, 1995. Shri Satya Prakash Malaviya. Absent. The next Bill also is in the name of Shri Satya Prakash Malaviya. Absent.